

कार्यालय जिला सूचना अधिकारी पीलीभीत।

पत्रांक 321/जि0सू0का0/नीलामी/2018-17

दिनांक-26-08-16

नीलामी-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला सूचना कार्यालय पीलीभीत में अनुषंगी जीर्णोद्धार सामानों जनरेटर, फोटोफोन, स्पीकर, पैमल, कुलर, फिल्में तथा फिल्मों के डिब्बे आदि सामानों की सार्वजनिक नीलामी जिला सूचना कार्यालय पीलीभीत में दिनांक 08 सितम्बर 2018 को 12:00 बजे निम्न शर्तों के अधीन की जायेगी।

शर्तें एवं नियम निम्नवत हैं:-

1. नीलामी योग्य सामान जहाँ जैसी स्थिति में है नीलाम किया जायेगा। उन्धुक क्रेता नीलामी तिथि से पूर्व कार्यालय समय में 10:00 बजे 12:00 बजे के मध्य सामानों को देख सकते हैं।
2. नीलामी की वस्तुओं की बोली लगाने से पूर्व (बिडर) क्रेता को शासकीय बोली लगाने हेतु रु0 2000/- की धरोहर राशि कैशियर के पास जमा करना होगा। जमानत राशि जमा करने के पश्चात ही क्रेता नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। तैल के भाव बिक्री किये जाने वाले सामानों की दर प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय उ0प्र0 राजगढ़ भवन गुरु गाविन्द सिंह मार्ग लखनऊ द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप होगी।
3. उच्चतम नीलामी बोली का 3/4 भाग (75 प्रतिशत) धनराशि+बिक्रीकर एवं अन्य कर विभाग में नीलामी होने के एक सप्ताह के अन्दर नकद जमा करना होगा।
4. निर्धारित समय में नीलामी की धनराशि जमा न करने पर पूर्व में जमा की गई धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।
5. नीलामी की वस्तुओं/सामानों की निर्धारित समय सीमा के न उठाने पर रु0 200/- की दर से प्रतिदिन का किराया देना होगा।
6. कुल नीलामी बोली के अतिरिक्त नियमानुसार बिक्री कर एवं अन्य कर अलग से देना होगा।
7. समस्त नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अधोहरताक्षरी को निहित होगा। उक्त के सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. समस्त विवाद का न्याय क्षेत्र पीलीभीत होगा।
9. यह सूचना www.pilibhit.nic.in की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी।

(सहायक निदेशक)

सहायक निदेशक सूचना
जनपद-पीलीभीत।